पोप फ्रांसिस बच्चों की तस्करी, बलात्कार, हत्या के दोषी पाए गए

रविवार, 20 जुलाई, 2014 7:28

(बिफोर इट्स न्यूज़)

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-traf-ficking-rape-murder-2465728.html

कल प्रतिवादी पोप फ्रांसिस बर्गोगलिया, कैथोलिक जेसुइट सुपीरियर जनरल एडोल्फो पेचों और कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिन वेलबी बच्चों के साथ बलात्कार, अत्याचार, हत्या और तस्करी के दोषी पाए गए। ब्रसेल्स के इंटरनेशनल कॉमन लॉ कोर्ट ऑफ ज़स्टिस के पाँच न्यायाधीशों ने निर्धारित किया कि ये अपराध हाल ही में 2010 के दौरान घटित हुए। पिछले मार्च से अब तक 48 से अधिक प्रत्यक्षदर्शी दी नाइन्थ सर्कल सेटैनिक चाइल्ड सैक्रफाइस कल्ट के सदस्य के रूप में प्रतिवादी की गतिविधियों के बारे में इस आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट के समक्ष गवाही देने के लिए आ चुके हैं।

कहते हैं कि दि नाइन्थ सर्कल सेटैनिक कल्ट मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, रोम, स्कॉटलैंड, लंदन की रोमन कैथोलिक चर्चों में, वेल्स में कार्नार्वन कैसल में, हॉलैंड में एक अज्ञात फ्रैंच शैटो (किले) में और कामलूप्स, ब्रिटिश कोलंबिया और ब्रैंटफोर्ड, ओंटारियो कनाडा में रोमन कैथोलिक और एंगेग्लकन इंडियन रेज़िडेंसियल स्कूलों में बच्चों की बलि देता था। दि नाइन्थ सर्कल सेटैनिक चाइल्ड सैक्रफाइस कल्ट यूरोप के शाही परिवारों के सदस्यों सहित विश्वभर के उच्च वर्ग के लिए "ह्यूमन हंटिंग पार्टीज़" के रूप में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और हॉलैंड में निजी स्वामित्व वाले वनों का उपयोग करता था। कहते हैं कि माफिया द्वारा बच्चे उपलब्ध करवाए जाते थे, उन बच्चों को निर्वस्त्र किया जाता, उनके साथ बलात्कार किया जाता, उनका शिकार किया जाता और उन्हें मार दिया जाता था। मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसीक्यूटर) ने कहा, "कैथोलिक चर्च विश्व का सबसे बड़ा कार्पोरेशन है और इसका दुनियाभर के माफिया, सरकारों, पुलिस और न्यायालयों के साथ गठजोड़ है।"

दो किशोर महिलाओं ने आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट को बताया कि बच्चे की बलि के दौरान पोप फ्रांसिस ने उनके साथ बलात्कार किया था। आठ अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने बलात्कार और बच्चों की बलि के आरोपों की पुष्टि करते हुए गवाही दी। कहा जाता है कि हॉलैंड और बेल्जियम के ग्रामीण इलाकों में 2009 और 2010 की वसन्त ऋतु के दौरान दि नाइन्थ सर्कल सेटैनिक कल्ट आयोजित हुए थे।

वेटिकन अभिलेखागार से प्राप्त एक सीलबंद दस्तावेज़ के अनुसार पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना पादरी

और बिशप के रूप में कार्य करते हुए बच्चों की शैतानी बलि दिए जाने के अपराधी पाए गए थे। कहा जाता है कि दिनांक 25 दिसंबर, 1967 के एक अन्य रिकार्ड, जिसे मैजिस्टीरीयल प्रिविलिज कहा जाता है, में कहा गया है कि प्रत्येक नए पोप को दि नाइन्थ सर्कल सेटैनिक कल्ट की बच्चों की बलि देने और बच्चों का खून पीने की प्रथा में शामिल होना पड़ता था। एक प्रमुख वेटिकन अधिकारी और एक पूर्व वेटिकन क्युरीया कर्मचारी ने इन दस्तावेजों को आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट को सौंपा था।

पिछले महीने आयरिश गार्ड पुलिस फोर्स के एक जाँचकर्ता ने पाँच न्यायाधीशों और 27 जूरी सदस्यों के समक्ष गवाही दी कि एक आयरिश रोमन कैथोलिक नन सेप्टिक टैंक में पाए गए लगभग 796 बच्चों की हड्डियों पर निशान थे जो दर्शाते हैं कि उन्हें किसी प्रथा के तहत मारा गया था। गवाह ने प्रमाणित किया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की थी कि बच्चों का कत्ल और अनके अंगों को काटने का तरीका दर्शाता है कि किसी कर्मकांड अथवा बलि के लिए बच्चों की हत्या की गई थी।

बीबीसी की एक डॉक्यूमेंटरी ने स्पेन में कैथोलिक चर्च द्वारा की जा रही बच्चों की अवैध तस्करी का पचास साल पुराना घोटाला उजागर किया। 1990 के दशक तक 300,000 से अधिक बच्चे उनके अभिभावकों से चुराए गए। माताओं को बताया गया कि उनके बच्चों की मृत्यु हो गई है और उन्हें सामूहिक कब्र में दफना दिया गया है। कहा जाता है कि कैथोलिक चर्च ने बच्चों को गोद लेने के काम में 20 अरब डॉलर कमाए।

अन्य गवाहों ने गवाही दी कि वे अर्जेंटीना के 1970 के दशक के डर्टी वार के दौरान पोप फ्रांसिस और सैन्य शासकों की होने वाली बैठकों में मौजूद थे। गवाह के अनुसार, लापता राजनीतिक कैदियों के 30,000 बच्चों की अवैध तस्करी में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के एक कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय बाल शोषण गिरोह की मदद की थी।

एक एबीसी न्यूज़ स्पेशल में संकेत दिया गया कि शैतान वेटिकन में बसता था। आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट के प्रमुख अभियोजक ने पाँच अंतर्राष्ट्रीय न्यायधीशों और 27 जूरी सदस्यों को बताया, “कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार के दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि जेसुइट की अपहरण किए गए नवजात शिशुओं की कर्मकांड के लिए हत्या करने और उनका खून पीने की पूर्वनियोजित योजना थी।” “यह योजना मासूमों के रक्त से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की एक विकृत धारणा से जन्मीं थी, ताकि रोम में पोप की राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो। ये कृत्य न केवल नरसंहार हैं बल्कि इनकी प्रकृति प्रणालीगत और संस्थागत है। कम से कम 1773 के बाद से, लगता है रोमन कैथोलिक चर्च, जेसुइट और प्रत्येक पोप इन कृत्यों को करते आ रहे हैं।”

आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट के समक्ष आए अपराधों के संभावित मामलों में शामिल अन्य लोगों की जाँच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक सतत और स्थाई जाँच शुरु की गई। 1 सितंबर 2014 को “परमानेंट कमीशन इनटू चाइल्ड ट्रैफिकिंग एण्ड रिच्युअल सैक्रिफाइस” नामक जाँच शुरू की गई। मुकदमा आगे चलने की संभावना थी।

48 चश्मदीद गवाहों में कैथोलिक पोप फ्रांसिस बर्गोगलियो, जॉन पॉल द्वितीय और ज़ोसफ रेटिंज़र; ऐंगलिकन, यूनाइटिड चर्च ऑफ कनाडा और कैथोलिक चर्च के अधिकारी, जिनमें कार्डिनल्स और कैथोलिक जेसुइट सुपीरियर जनरल एडोल्फो पेचों; ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप, कैंटरबरी जस्टिन वेलबे के ऐंगग्लकन आर्कबिशप और हाईकोर्ट के जस्टिस जज फुलफोर्ड; नीदरलैंड के: डच क्राउन प्रिंस अलफ्रेंक बर्नहार्ड, किंग हैंड्रिक, हॉलैंड की रानी विलहेलमिना का पति, रानी बीट्रिक्स, उनके पिता और वायसराय, प्रिंस ज़ॉन फरिसो और

उनकी पत्नी माबेल विसी स्मित, पूर्व मंत्री, डच आर्मी फोर्स के शीर्ष व्यक्ति और रॉड वैन स्टेट के अंडर सेक्रेटरी सहित डच और बेल्जियम के कार्डिनल्स और रॉयल्स; अमेरिका के सीआईए सहित कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अधिकारी; अमेरिका, बेल्जियम, हॉलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड और ब्रिटेन के प्रमुख सरकारी मंत्री, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और कारोबारी शामिल हैं।

पीपल बनाम बर्गोगलिया व अन्य के मामले में 19 जुलाई, 2014 को गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए। आईटीसीसीएस (ITCCS) की कल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभी कोर्ट के रिकॉर्ड सीलबंद रहेंगे। प्रथम आईटीसीसीएस (ITCCS) कोर्ट ने कनाडा में पैदा हुए 50,000 बच्चों को गायब माना। कोर्ट ने फरवरी, 2013 में महारानी एलिजाबेथ सहित 40 वैश्विक हस्तियों को अपराधी माना।

कैनेडियन और मुख्यत: कैथोलिक स्वामित्व वाले आवासीय विद्यालयों से देश में जन्मे 50,000 बच्चे गायब हुए। कनाडा के 80 देशी आवासीय स्कूलों में बच्चों के 34 से अधिक सामूहिक कब्रिस्तानों की पहचान की गई। वर्ष 2008 से महारानी एलिजाबेथ और कैनेडियन सरकार ने आईटीसीसीएस (ITCCS) के खुदाई के लिए अनुरोध को बार-बार ठुकराया।

संभावित कारण आश्चर्यजनक नहीं था। महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप को कामलूप्स के आवासीय स्कूल से दस स्थानीय बच्चों के लापता होने के मामले में 10 अक्टूबर, 1964 को दोषी करार दिया गया। तब से लेकर अब तक अभिभावकों ने अपने बच्चों को नहीं देखा। मुकदमेबाजी के कारण पोप रेटिंजर को इस्तीफा देना पड़ा। इन मामलों के प्रमाण केविन एनेट के "हिडन नो लॉगर" में देखे जा सकते हैं।

आईसीएलसीजे (ICLCJ) अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के 13 देशों में 450 से अधिक कॉमन लॉ पीस ऑफिसर हैं और 51 स्थानीय चार्टर्ड समूह कार्यरत हैं। आवेदन करने के इच्छुक कॉमन लॉ समूहों के लिए धन का आयोजन उपलब्ध है। ब्रसेल्स में आईटीसीसीएस (ITCCS), आईसीएलसीजे (ICLCJ) कोर्ट, इसके स्थानीय सहयोगियों अथवा वालंटियरों से संपर्क करने के लिए itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, पर ईमेल अथवा 386-323-5774 (अमेरिका) या 250-591-4573 (कनाडा) पर फोन करें।

लेखक के बारे में

जूडी बाइंगटन, एमएसडब्ल्यू, एलसीएसडब्ल्यू, सेवानिवृत्त, "ट्वेन्टी टू फेसेस: इनसाइड दि एक्ट्राऑर्डनरी लाइफ ऑफ़ जेनी हिल एण्ड हर ट्वेन्टी टू मल्टीपल पर्सनैलिटीज" (www.22faces.com) की लेखिका हैं, वे एक सेवानिवृत्त थेरेपिस्ट, पब्लिक स्पीकर, कार्यकर्ता और खोजी पत्रकार हैं, बच्चों के शोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के संबंध में उनके लेखों को सैकड़ों ब्लॉग और वेबसाइट में उद्धृत किया जाता है। वे अलबर्टा मेंटल हैल्थ की सुपरवाइजर और प्रोवो फैमली काउंसलिंग सेंटर, चाइल्ड एब्यूज रिकवरी एण्ड स्पीकर्स ब्यूरो (www.ChildAbuseRecovery.com) की डायरेक्टर हैं। यदि आपके पास बच्चों के शोषण संबंधी कोई जानकारी है तो कृपया info@22faces.com पर जूडी को ईमेल करें। आप http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children पर क्लिक करके बच्चों का सीआईए माइंड कंट्रोल की जाँच के लिए हमारी कांग्रेस याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित हैं।